अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.)

दूरभाष–07662. 230050 Email- Regapsu@gmail.com

वेबसाईट: www.apsurewa.ac.in

निविदा क्रमांक ....

सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा

Name & Address of Contractor /Agency	
Phone:	**Email Fax:**

Tender Form Fee/EMD Details

1. Tender Form cost :Rs............(Rupees .... Only)

   DD No.......................Dated...

2. EMD Amount :Rs. ..../-(Rs. .... Only)

   DD No......................Dated...............................

Last Date &Time for Receipt of Tender
.... Till 3.00PM

Date - 2015
Time of Opening of Tender- 4.00 PM
Venue – A.P.S. University, Rewa (M.P.)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.)

दूरभाष–07662, 230050 Email- Regapsu@gmail.com

वेबसाईटः www.apsurewa.ac.in

प्रति,

कुलसचिव
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय
रीवा (म0प्र0)

महोदय,

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षागार्ड हेतु अपनी दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ इसके साथ ही उक्त निविदा के साथ सभी नियमों/शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है उन सभी नियमों/शर्तों का कड़ाई से पालन करना स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करता हूँ :–

1. निविदाकार/फर्म का नाम पताः ....

2. नगर निगम का स्थापना पंजीयन प्रमाण–पत्रः ....

3. ई.पी.एफ.नं: ....

4. ई.एस.आई.नं: ....

5. पेन कार्ड नं. : ....

6. लेबर स्थापना पंजीयनः ....

7. पुलिस सत्यापन का नवीनतम प्रमाण–पत्रः ....

8. धरोहर राशि रू.: ....

9. आई.एस.ओ. स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र ....

10. स्थापना/फर्म के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के आडिट की गयी बैलेंस सीट संलग्न होना चाहिए।

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.)

दूरभाष–07662. 230050 Email- Regapsu@gmail.com

वेबसाईट: www.apsurewa.ac.in

लिफाफा 'अ' में रखी जाने वाली विस्तृत विवरण–तकनीकी निविदा
(ऐजेन्सी के लेटरहेड पर जमा किया जावे)

(पृष्ठ संख्या अंकित की जाये)

1. संस्था का नाम :..
2. संस्था का पता :..
3. संस्था का प्रकार (प्रोपराईटर/पार्टनर) :...
   एन.जी.ओ./या अन्य कोई हो तो स्पष्ट करे।)
4. संस्था प्रमुख का नाम :...
5. संस्था के पंजीयक/उप पंजीयक :.. फर्म एवं सोसायटी म.प्र. में वैध पंजीयन की छायाप्रति।
6. कर्मचारी बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) :.. का वैध पंजीयन तथा पिछले वर्ष का रिटर्न कार्यालय द्वारा जारी जमा राशि का प्रमाण–पत्र
7. कर्मचारी निधि (ईपीएफ) का वैध पंजीयन :.. तथा पिछले वर्ष का रिटर्न फार्म 6–ए अथवा फार्म 3–ए अथवा क्षेत्रीय या उपक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी पिछले वर्ष (2014–15) की जमा राशि का प्रमाण पत्र।
8. श्रमायुक्त, सहायक अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत :.. .... अधिकार द्वारा जारी वैध लेबर लायसेंस।
9. स्थायी आयकर संख्या (पैन नं.) होना :.. आवश्यक है। पिछले वर्ष (2012–15) विवरण अथवा टैक्स क्लायरेंस का प्रमाण पत्र एवं पांच करोड के बैलेन्स सीट का प्रमाण पत्र।
10. सेवाकर का पंजीयन (15 अंको वाला कोड नं.) :... .... पिछले वर्ष (2014–15) की विवरणी अथवा सेन्ट्रल एक्साइज अथवा संबंधित कार्यालय द्वारा जारी टेक्स क्लायरेंस का प्रमाण पत्र।
11. किसी शासकीय अर्द्धशासकीय अथवा शासन के :... .... किसी उपक्रम में निविदत्त कुल पॉच वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र।

12. प्रोपराइटरशिप का प्रमाण पत्र :..

13. संस्थान का विवरण जहाँ विगत पाँच वर्षों में सेवाये दी गई जिनका अनुभव संबंधी पत्र प्रस्तुत किया गया है :–

क्रमांक	विभाग का नाम	विभाग का पता	अनुबंधित सुरक्षा कर्मियो की संख्या	अनुबंध क्रमांक	दिनांक
(i)					
(ii)					
(iii)					
(iv)					
(v)					

14. धरोहर राशि डी.डी.क्र. एवं दिनांक (डी.डी. संलग्न) ..../–
(रू. ....मात्र)

15. बैंक का नाम एवं पता :..
....

16. किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान से भी कालीसूचीबद्ध (ब्लैक लिस्टेड) हुए है :– हाँ/नहीं

//घोषणा//

मैं/हम सत्यनिष्ठा से घोषणा करते है कि उपर्युक्त दी गई जानकारी सत्य है। असत्य पाये जाने पर हमारे विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाये। प्रश्नाधीन निविदा में संबंधित कर्मचारियों की सेवाऐं देने हेतु हम विधिक रुप से सक्षम हैं। विधिक औपचारिकतायें संस्था के पास पूर्णतः हैं।

दिनांक .... निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नोटः– कृपया अनावश्यक एवं भ्रमित करने वाले दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाये समस्त दस्तावेज सुस्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिए तथा उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रमबद्ध संलग्न होना चाहिए।

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.)

दूरभाष–07662. 230050 Email- Regapsu@gmail.com

वेबसाईट: www.apsurewa.ac.in

निविदा की सामान्य शर्तेः– सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा की सामान्य शर्तें :–

1- निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जावेगा।

2- विश्वविद्यालय द्वारा वांछित अमानत राशि एवं आवश्यक विवरण के अभाव में प्राप्त निविदाएँ निरस्त मानी जावेंगी।

3- निविदाएँ निर्धारित तिथि एवं समय पर विश्वविद्यालय मे खोली जावेगी। निविदा खोलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है।

4- कुलसचिव के पास किसी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

5- यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा ठेके का प्रस्ताव दिया जाता है एवं संबंधित निविदाकर्ता अपनी निविदा निष्पादित करने में असफल होता है, अथवा निविदा वापस लेना चाहता है, तो उस दशा में उसके द्वारा जमा की गई अमानत राशि विश्वविद्यालय द्वारा जप्त कर ली जावेगी।

6- सुरक्षा निविदा के साथ –

   1. निविदा पत्रक की राशि रू. 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) एवं
   2. अमानत राशि रू. 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) ड्राफ्ट के रूप में जो कि कुलसचिव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म0प्र0) के नाम देय हो, जमा करना अनिवार्य है।

7- ऐसे निविदाकर्ता जिनकी निविदाएँ विश्वविद्यालय द्वारा अस्वीकृत की जाती है, उनकी अमानत राशि निविदा प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् लौटाई जा सकेंगी।

8- निविदाकर्ता का भविष्य निधि का स्वयं का कोड होना आवश्यक है।

9- निविदाकर्ता द्वारा टैक्नीकल बिड एवं फायनेंसियल बिड, दोनों पृथक–पृथक लिफाफे में रखकर एक बड़े लिफाफे में जमा किया जाना है।

10- सीलबंद निविदाएँ अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म0प्र0) में दिनांक 30.12 -2015 समय अपरान्ह 3:00 बजे तक जमा की जा सकती है, जो कि दिनांक ~~13.11.2015~~ 06-01-2016 को अपरान्ह 04:00 बजे कार्यालय में मनोनीत समिति के सम्मुख खोली जावेगी।

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म॰प्र॰)

दूरभाष–07662. 230050 Email- Regapsu@gmail.com
वेबसाईट: www.apsurewa.ac.in

सुरक्षा ठेके की शर्ते

1॰ सुरक्षा ठेका अनुबंध तिथि से एक वर्ष के लिये दिया जायेगा एवं कार्य अच्छे पाये जाने पर कार्य अवधि तीन वर्ष तक के लिए बढ़ायी जावेगी।

2॰ सुरक्षा एजेन्सी सम्पूर्ण विश्वविद्यालय में कार्यरत् कर्मचारियों के साथ–साथ विश्वविद्यालय की सम्पत्ति (चल/अचल) एवं परिसर की 24 घण्टे सुरक्षा व्यवस्था करेगा। सुरक्षा व्यवस्था में कभी लापरवाही के कारण विश्वविद्यालय को (चल/अचल) सम्पत्ति में यदि किसी प्रकार की आर्थिक हानि होती है तो एजेन्सी द्वारा भरपाई करना होगा।

3॰ सुरक्षा कार्य में लगाये गये कर्मियों की आयु अधिकतम 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । उसे कम से कम 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए एवं सुरक्षा कार्य में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव हो। इस आशय के दस्तावेज अनुमोदन के समय सक्षम अधिकारी को सुरक्षा एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत किये जायेगे।

4॰ गनमैन के पास राइफल का वैध लाईसेंस होना आवश्यक है इस हेतु एजेन्सी को अनुभव प्रमाण–पत्र एवं लायसेंस की प्रति जमा करनी होगी।

5॰ सुरक्षा एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय से सुरक्षा कर्मचारियों को वर्दी, प्रोटेक्टिव गारमेंट टार्च, फोटो परिचय पत्र आदि उपलब्ध करायेगी ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके। वर्दी का रंग एवं डिजाईन की सूचना विश्वविद्यालय को दी जायेगी।

6॰ सुरक्षा एजेन्सी को अपने कर्मियों के लिए वाहन, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। न तो विश्वविद्यालय द्वारा यह सुविधा दी जावेगी एवं न इस प्रयोजन हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।

7॰ विश्वविद्यालय की कोई सामग्री विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित गेट पास होने पर ही बाहर जावेगी जिस पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव के हस्ताक्षर होंगे जिसका रिकार्ड गार्ड रूम में रखा जावेगा एवं आवश्यकता पड़ने पर संबंधित शाखा एवं कुलसचिव को प्रस्तुत करना होगा। बिना गेटपास के यदि कोई सामग्री बाहर जाती है तो इसकी दायित्व सुरक्षा एजेन्सी की होगी।

8॰ जिन सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी पर नियुक्त करना हो, उनका अनुमोदन नियुक्ति के पूर्व विश्वविद्यालय से कराया जाएगा। सिर्फ अनुमोदित सूची में से ही सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की जा सकेगी। यदि कोई परिवर्तन करना हो तो नये प्रस्तावित कर्मी का अनुमोदन नियुक्ति के पूर्व प्राप्त करना होगा।

9। सुरक्षा एजेन्सी विगत माह का बिल प्रत्येक आगामी माह के प्रथम सप्ताह में विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करेगी। विश्वविद्यालय कार्यालय द्वारा बिलों का सत्यापन कर सुरक्षा एजेन्सी को बिल का भुगतान किया जावेगा। यदि कटौती किया जाना हो तो शाखा द्वारा इसकी सूचना वित्त शाखा को दी जावेगी तथा वित शाखा के माध्यम से कटौती की कार्यवाही की जावेगी। सुरक्षा ऐजेन्सी बिल के साथ सुरक्षा कर्मचारियो की सत्यापित उपस्थिति प्रमाण पत्र संलग्न करेगा। यदि सुरक्षा एजेन्सी, द्वारा वैधानिक औपचारिकताओं का परिपालन नहीं किया जाता है एवं संबंधित पत्रक अथवा वांछित जानकारी बिल के साथ प्रस्तुत नही की जाती है तो विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा एजेन्सी को देयक राशि का 5 प्रतिशत भुगतान आगामी निराकरण होने तक रोक दिया जावेगा और इसके फलस्वरूप किसी भी सुरक्षा कर्मियों के भुगतान संबंधी प्रकरणों में यदि अवरोध पैदा होता है (और यदि उपरोक्त के अभाव में देयक के भुगतान में विलम्ब होता है) तो उसकी सम्पूर्ण दायित्व सुरक्षा एजेन्सी की होगी एवं विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार से जवाबदार नहीं रहेगा।

10। दोनों पक्षों में से कोई भी सामान्य दशा में एक माह की पूर्व सूचना देकर सुरक्षा ठेका समाप्त कर सकता है परन्तु सुरक्षा एजेन्सी द्वारा अनुबंध के उल्लंघन एवं चूक करने की दशा में विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि वह सुरक्षा ठेका निरस्त कर सकेगा एवं ऐसे प्रकरण मे जमा की गई प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी।

11। ठेके के दौरान सुरक्षा एजेन्सी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से सुरक्षा हेतु कार्य पर नहीं ले सकेगा।

12. सुरक्षा एजेन्सी अपना कार्य किसी अन्य ऐजेन्सी (Sub Agency) को नहीं देगा। यह कार्य वह स्वयं निर्वहन करेगा।

13। सुरक्षा एजेन्सी विश्वविद्यालय के कुलसचिव के प्रति उत्तरदायी होगी एवं निर्देशानुसार कार्य करेगी।

14। सुरक्षा कर्मचारियों को कार्य पर रखने के पूर्व पुलिस विभाग से उनका सत्यापन करवाने का दायित्व सुरक्षा एजेन्सी का होगा। विश्वविद्यालय में सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति के पूर्व सुरक्षा एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके विरूद्ध किसी भी न्यायालय/पुलिस थाने में कोई भी प्रकरण विचारधीन दर्ज नही है।

15। सुरक्षा एजेन्सी को कुलसचिव द्वारा निर्देशित किये जाने पर सुरक्षा गार्डो का संस्था एवं संस्था की आवश्यकता अनुसार सुरक्षा हेतु किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सकेगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

16। साप्ताहिक एवं अन्य अवकाश अथवा अन्य किसी कारण से सुरक्षा गार्डो की अनुपस्थिति की स्थिति में एजेन्सी तुरन्त संबंधित सुरक्षा गार्ड के स्थान पर अन्य सुरक्षा गार्ड की तैनाती की कार्यवाही करेगी। सुरक्षा व्यवस्था हेतु 24 घंण्टे सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

17॰ सुरक्षा एजेन्सी को टेण्डर स्वीकृति होने के उपरान्त पत्र जारी होने के 07 दिवस में अनुबंध करना होगा। निविदा के समय निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई अमानत राशि को प्रतिभूति राशि के रूप में रखा जावेगा इस संबंध में देयक से किसी प्रकार का समायोजन संभव नही होगा। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्रतिभूति राशि विश्वविद्यालय में जमा होने के पश्चात् निविदा शर्तों के अन्तर्गत सुरक्षा एजेन्सी एवं विश्वविद्यालय के बीच आवश्यक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित होगा। कुलसचिव द्वारा निर्धारित अनुबंध प्रपत्र का आलेख कार्यालय में देखा जा सकता है।

18॰ सुरक्षा एजेन्सी के कर्मचारी किसी भी प्रकार की ट्रेड यूनियन की गतिविधियों मे भाग नहीं लेंगे। ऐजेन्सी के कर्मचारी किसी भी परिस्थितयों में अपने वेतन आदि के लिए संस्था से सीधे सम्पर्क नहीं कर सकेगें। समय पर वेतन भुगतान की जिम्मेदारी ऐजेन्सी की होगी न की संस्था की ।

19॰ विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का कड़ाई से पालन करना एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए सुरक्षा एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

20॰ विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार सुरक्षा अमले की तैनाती के संबंध में समय–समय पर निर्देश दिये जावेंगे, कर्मियों की संख्या कम या ज्यादा की जा सकती है जिसका सुरक्षा एजेन्सी द्वारा पालन करना अनिवार्य होगा। आवश्यकता पड़ने पर 24 घंटे की पूर्व सूचना पर अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड/गनमैन उपलब्ध कराने होंगे।

21॰ सुरक्षा एजेन्सी को विश्वविद्यालय से कार्यादेश प्राप्त होने के 07 दिवस के अंदर श्रम संविदा अधिनियम 1970 के अन्तर्गत श्रम विभाग से लायसेंस (अनुज्ञप्ति) प्राप्त कर विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

22॰ सुरक्षा एजेन्सी को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षा गार्डो को उनके वेतन भुगतान करते समय आयकर अधिनियमों का पालन करना होगा।

23॰ विश्वविद्यालय परिसर में धूम्रपान/मदिरापान पूर्णतः वर्जित है। यदि सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो कुलसचिव को स्व–विवेक से सुरक्षा एजेन्सी पर जुर्माना का अधिकार होगा एवं यह सुरक्षा एजेन्सी को मान्य होगा।

24॰ सुरक्षा एजेन्सी द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रतिमाह भुगतान एकाउन्ट के माध्यम से करना होगा जिसकी छायाप्रति प्रतिमाह विश्वविद्यालय को उपलब्ध करानी होगी तथा कर्मचारियों के ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 कटौती अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु उत्तरदायी होगी एवं इसका सम्पूर्ण रिकार्ड एजेन्सी द्वारा रखा जावेगा तथा सत्यापन हेतु रिकार्ड विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा।

25॰ सुरक्षा एजेन्सी परिसर में आवारा कुत्तों एवं पशुओं को रोकने के लिए उत्तरदायी भी होगी। यदि ऐसा करने मे वह विफल हुई तो कुलसचिव स्व–विवेक से सुरक्षा एजेन्सी पर जुर्माना कर सकेंगे एवं सुरक्षा एजेन्सी को मान्य होगा।

26॰ यदि विश्वविद्यालयएवं सुरक्षा एजेन्सी के मध्य अनुबंध के अन्तर्गत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो कुलसचिव द्वारा दिया गया निर्णय सुरक्षा एजेन्सी को मान्य एवं बंधनकारी होगा।

27० विश्वविद्यालय के कुलसचिव को यह अधिकार होगा कि उक्त सुरक्षा व्यवस्था के ठेके की समयावधि एक माह या अधिक समय के लिए स्वीकृति दरों एवं एजेन्सी की सहमति पर बढ़ाई जा सकती है।

28. सशर्त (Conditional) प्रस्तुत की गई निविदा मान्य नहीं होगी।

29० निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय की उपरोक्त शर्तो को मान्य करने के संबंध में रू. 1000/– के स्टाम्प पर स्वयं के खर्च पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

30० सुरक्षा कर्मियों का निरीक्षण करने पर उपस्थित पंजी पर हस्ताक्षर के उपरान्त कर्मी के कार्य से अनुपस्थित रहने पर उस दिन के वेतन/पारिश्रमिक की देयक में से कटौती की जा सकेगी।

31० कुलसचिव / कुलसचिव द्वारा मनोनीत अधिकारी निरीक्षण के समय सुरक्षाकर्मी के कार्य के प्रति असजग पाये जाने पर प्रतिकर्मी रूपये 100/– (रू. एक सौ मात्र) का प्रति निरीक्षण दण्ड के रूप में देयक में से कटौती की जा सकेगी।

32० सभी प्रकरणों में न्यायालयीन क्षेत्र अधिकार रीवा न्यायालय तक सीमित होगा।

33० यह अनुबंध अहस्तांतरणीय रहेगा।

34० समय–समय पर माननीय कलेक्टर महोदय/अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा कुशल/अकुशल आदि दैनिक वेतन भोगी कर्मियों हेतु निर्धारित न्यूनतम परिश्रमिक दरो का पालन निविदा राशि में किया जाना होगा।

35० सुरक्षा कर्मियों हेतु माननीय कलेक्टर महोदय/अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान (निविदा तिथि को प्रचलित दर) न्यूनतम देय राशि से कम राशि के आधार पर की जा रही निविदा को मान्य नही किया जायेगा ।

36. Directorate General of service Tax, Mumbai Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India sa Circular No. 172/7/2013-ST New Delhi, 19th September, 2013 अनुसार शैक्षणिक संस्थाओ को प्रदाय की जाने वाली सेवाओ पर सेवाकर देय नही है अतः निविदाकर्ता सेवाकर की गणना अपने निविदाओं में ना करें ।

37० निविदा सूचना में किसी भी प्रकार की टंकण त्रुटि को वाद का विषय नही बनाया जायेगा ।

38० निविदा कर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दरों में समानता (ज्पम) होने की स्थिति में ऐजेन्सियों द्वारा गत पॉच वर्षो में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, ऐजेन्सी द्वारा विभिन्न संस्थाओं को प्रदाय की जा रही सेवाओं की संख्या को मान देते हुए ऐजेन्सी निर्धारण का अंतिम निर्णय किया जायेगा ।

39० समय–समय पर माननीय कलेक्टर महोदय/अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा कुशल/अकुशल आदि दैनिक वेतन भोगी कर्मियों हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन एवं भत्तो मे किये गये परिवर्तन के प्रमाण प्रस्तुत करने पर संस्था द्वारा परिवर्तित दरों पर भुगतान किया जा सकेगा ।

कुलसचिव
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय
रीवा (म0प्र0)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा ;म0 प्र0द्ध
सुरक्षा व्यवस्था हेतु फाइनेंसियल बिड

(ऐजेन्सी के लेटरहेड पर जमा किया जावे)

लिफाफा 'ब' में रखी जाने वाली विस्तृत विवरण–फाइनेंसियल बिड

सरल क्रमांक	विवरण	सुरक्षा गार्ड (अकुशल) राशि रूपये में (प्रतिमाह / प्रतिगार्ड)	गनमेन (कुशल) राशि रूपये में (प्रतिमाह / प्रतिगार्ड)
1	न्यूनतम मूल वेतन		
2	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		
3	ई. पी. एफ. .... प्रतिशत		
4	ई. एस. आई......... प्रतिशत		
5	महायोग (प्रतिमाह / प्रतिगार्ड / प्रतिकर्मी) राशि रूपये में		

दिनांक ....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर